समाहरणालय,गढ़वा
(पंचायत शाखा)
-: प्रेस विज्ञप्ति :-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सरकार के सचिव,ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) झारखण्ड राँची के पत्र संख्या–1453/राँचीदिनांक–03.05.2016 के द्वारा गढ़वा जिला अन्तर्गत कनीय अभियंता एवं लेखा लिपिक – सह – कम्प्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति के संबंध में निदेश प्राप्त हुआ है।

विभागीय अधिसूचना संख्या – 689/रॉची दिनांक – 26.02.2016 के द्वारा 14 वे (चौदहवें) वित्त आयोग के अन्तर्गत सभी ग्राम पंचायतों के लिए (दो प्रति प्रखण्ड की दर से) कनीय अभियंता एवं (प्रत्येक तीन पंचायत पर एक) लेखा लिपिक – सह – कम्प्यूटर ऑपरेटर का पद सृजित किया गया है,जिसकी नियुक्ति संविदा पर किया जाना है।

विभागीय अधिसूचना संख्या – 80/राँची,दिनांक – 28.04.2016 के द्वारा उपरोक्त दोनो पदों पर नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता,उम्र सीमा,नियुक्ति की प्रक्रिया एवं कर्मियों के सेवा शर्त का निर्धारण किया गया है।

उपरोक्त दोनो पदों पर नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के (स्क्रुटिनी) संविक्षोपरांत कनीय अभियंता के कुल – 525 आवेदन पत्रों में 42 आवेदन पत्र एवं लेखा लिपिक – सह – कम्प्यूटर ऑपरेटर के कुल – 295 आवेदन पत्रों में से 80 आवेदन पत्रों में त्रुटि पाये जाने के कारण क्रमशः 42 एवं 80 आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया गया है। जिसकी सूची garhwa.nic.in पर उपलब्ध है।

उक्त संदर्भ में दिनांक 12.11.2016 से 15.11.2016 तक समय 11:00 बजे पूर्वाह्न से 3:00 बजे अपराह्न तक दावा आपत्ति की तिथि निर्धारित की गई थी। किन्तु दिनांक – 13.11.2016 को रविवारीय अवकाश एवं दिनांक – 14.11.2106 तथा 15.11.2016 को राजपत्रित अवकाश होने के कारण दिनांक – 16.11.2016 से 18.11.2016 तक अवधि विस्तार किया जाता है। संबंधित अभ्यर्थी दिनांक – 16.11.2016 से 18.11.2016 तक समय 11:00 बजे पूर्वाहन से 3:00 बजे अपराह्न तक अपना दावा आपत्ति जिला पंचायत राज कार्यालय में दर्ज कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि समाप्त हो जाने के पश्चात दावा आपत्ति अथवा पक्ष पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

ह0/–

उप विकास आयुक्त,
गढ़वा।

ज्ञापांक .....856...../पं0 दिनांक ..16/11/16

प्रतिलिपि :– जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी,गढ़वा को सूचनार्थ एवं सभी समाचार पत्रों के अगले अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, NIC गढ़वा को सूचनार्थ। अस्वीकृत आवेदनों की सूची संलग्न करते हुए निदेश है कि जिला के वर्णित सूची वेवसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे।

उप विकास आयुक्त,
गढ़वा।